nwda.gov.in

भारत सरकार
Government of India
जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
(Department of WR, RD and GR)
सत्यमेव जयते

केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
Ken Betwa Link Project Authority

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक के.बे.लि.परि.प्राधि./झाँसी/एच.क्यू.-2ए/ 664-67 दिनांकः 27-06-24
No.KBLPA/Div/JHANSI/HQ-2A/ Date:-

दर आमंत्रण सूचना

कार्यालय अधिशासी अभियंता, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, झाँसी में निम्नलिखित वाहनों को किराए पर लेने हेतु झाँसी स्थित विभिन्न प्रतिष्ठित फर्मों/ संस्थान/प्राईवेट पार्टी/एजेंसी से दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म अपने वाहनों को किराए पर देने की दरें मोहर बंद निविदा के द्वारा दिनांक-06.07.2024 को सायंकाल 15:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त समय और दिनांक के उपरांत प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी निविदाओं को उसी दिन दिनांक-06.07.2024 को सांयकाल 15.30 बजे तक खोला जाएगा। निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय स्वयं के खर्चे पर कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का विवरण	वाहन का प्रकार		वाहन का प्रकार	
1.	स्थानीय यात्राओं के लिए	SUV	दर (रूपये में)	Sedan	दर (रूपये में)
(i)	8 घण्टे या 80 किमी	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(ii)	12 घण्टे या 120 किमी	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(iii)	16 घण्टे या 160 किमी	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(iv)	24 घंटे 240 किमी	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
2.	बाहरी यात्राओं के लिए	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(i)	प्रतिदिन / न्यूनतम किमी की दूरी का चार्ज	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(ii)	अतिरिक्त किमी का चार्ज	Innova Crysta/ XUV 700/ TATA Safari/ Scorpio.		Dzire/Etios/Tigor/ Amaze एवं अन्य समकक्ष और बेहतर।	
(iii)	रात्रिकालीन ड्यूटी चार्ज	Innova Crysta/XUV 700/		Dzire/Etios/Tigor/	

नियम एवं शर्ते:-

1. फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन के साथ अनुभवी वाहनचालक जिसके पास स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा कागजात, PUC आदि) अपने साथ रखने चाहिए| वाहन चालक वाहन का उपयोग करते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी छोटी तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए एवं वाहन चालक को हमेशा अपने साथ एक मोबाइल फोन उपयोगी स्थिति में रखना चाहिए, जिससे अधिकारी किसी भी समय उससे संपर्क कर सके।
2. टोल टैक्स एवं पार्किंग चार्ज वास्तविक के अनुसार रसीद उपलब्ध कराने पर अलग से देय होगा।
3. यदि प्रदान किये गये वाहन अच्छी स्थिति, रखरखाव एवं साफ-सुथरे नहीं पाये गये तो वाहन को स्वतः वापिस कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर अच्छी स्थिति, रखरखाव एवं साफ-सुथरे वाहन चयनित फर्म/एजेंसी को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
4. वाहन चालक को वाहन चलाते समय नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए तथा विभागीय अधिकारी के निर्देशों का शिष्टाचारपूर्वक पालन करना होगा।
5. उपलब्ध कराए गए वाहनों के चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित समय-समय पर यातायात नियमों और अन्य विनियमों का पालन करना होगा। वाहन के चालकों को स्थानीय और आस पास के बाहरी शहरों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित होना चाहिए।
6. स्थानीय या बाहर की यात्रा के दौरान वाहन में पर्याप्त मात्रा में ईधन भरा होना चाहिए।
7. स्थानीय या बाहर की यात्रा के दौरान वाहन चालक को खाने एवं ठहरने की व्यवस्था हेतु खर्च संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा देय होगा।
8. आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
9. किराए पर लिए गए वाहन का कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात, फर्म/एजेंसी द्वारा संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी/यात्रा स्लिप के साथ बिल GST सहित दो प्रति में जमा करने के बाद भुगतान NEFT/RTGS के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए बैंक खाता के साथ बीजक (बिल) देना होगा।
10. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी कारण से दर में वृद्धि के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा एवं भाव/दर कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा। यह व्यवस्था सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर उसी दर, नियम और शर्तों के तहत आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
11. वाहन इस प्राधिकरण द्वारा सूचित किसी भी समय और दिन पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए एवं वाहन को इस प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार आवश्यकता के स्थान पर रिपोर्ट करना होगा।
12. यह प्राधिकरण वाहन या चालक के किसी भी चालान, हानि क्षति या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
13. फर्मों के पास कम समय में अपने वाहन की मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए और मरम्मत समय के दौरान फर्म को तुरंत एक वैकल्पिक वाहन और ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा ताकि प्राधिकरण के काम में कोई असुविधा/व्यवधान न हो।
14. कोटेशन में दर्शाई गई दरों में यदि कोई सर्विस चार्ज हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए।
15. पैन कार्ड/GST Registration Certificate की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न होना चाहिए।

भवदीय

Ashish Singh
27/06/24

(आशीष सिंह कुशवाह)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक (एम डी यू), राजविअ, नई दिल्ली को बेव साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. निदेशक (वित्त), केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)।
3. लेखा शाखा, के.बे.लि.प.प्रा.प्रभाग, झाँसी (उ.प्र.)|
4. सूचना पट्ट के.बे.लि.प.प्रा.प्रभाग, झाँसी (उ.प्र.)।